दैनिक जागरण

चित्तरंजन के फतेहपुर इलाके में चिरेका प्रशासन ने 40 अनधिकृत घरों को तोड़ा

अनधिकृत घरों को ध्वस्त करता चिरेका का जेसीबी मशीन● जागरण

संवाद सहयोगी, जागरण● मिहिजाम (जामताड़ा): चिरेका रेलनगरी स्थित फतेहपुर इलाके के रोड संख्या 44, 44ए, 45, 46, 48, 50, 51 व 55 के आसपास और बर्नपुर रीवर साइड विद्यालय के पीछे गैरकानूनी तौर पर निर्मित 50 में से 40 घरों को चिरेका प्रशासन ध्वस्त कर दिया। चिरेका प्रशासन के अनुसार शेष अन्य 10 घर भी जल्द ध्वस्त किए जाएंगे। फतेहपुर इलाके के जिन अनधिकृत घरों को ध्वस्त किया गया है, उनका निरीक्षण गत 26 दिसंबर 2023 को किया गया था। निरीक्षण के पश्चात मौखिक तौर पर उन अनधिकृत घरों में रहने वालों को खाली करने के लिए कहा गया था। पर्याप्त समय देने के बाद आठ जनवरी 2024 को पब्लिक प्रमिसेस के तहत मामला दर्ज किया गया और 24 जून 2024 को इसी एक्ट के के तहत नोटिस जारी किया गया। अतिक्रमणकारियों को 15 जुलाई 2024 तक अनधिकृत अतिक्रमण को हटाने का पर्याप्त समय दिया गया था।

चिरेका प्रशासन के अनुसार 23 जुलाई 2024 को स्टेट आफिसर द्वारा ध्वस्त करने का आदेश जारी किया गया। 25 जुलाई 2024 को चिरेका प्रशासन द्वारा एक बार फिर से नोटिस जारी किया गया। लेकिन बावजूद इसके कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर प्रशासन द्वारा अनधिकृत 40 घरों को ध्वस्त किया गया।

News Paper PG-no :- 6

देवघर, मंगलवार
30.07.2024
श्रावण कृष्ण 10 संवत 2081
पृष्ठ : 30 (14+16 पेज का स्थापना दिवस परिशिष्ट), मूल्य : ₹ 5
वर्ष : 21, अंक : 02
रजिस्ट्रेशन : JHAHIN/2004/14077

झारखंड का सर्वाधिक प्रसारित दैनिक

प्रभात खबर

अखबार नहीं आंदोलन

देवघर । रांची । पटना । जमशेदपुर । धनबाद । कोलकाता । मुजफ्फरपुर । भागलपुर से प्रकाशित

facebook.com/prabhat.khabar twitter.com/prabhatkhabar instagram.com/prabhat.khabar youtube.com/c/PrabhatKhabartv/

चिरेका में अवैध निर्मित घरों पर चला बुलडोजर

मिहिजाम. चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना के फतेहपुर व बर्नपुर रिवर साइड स्कूल के पीछे अतिक्रमणकारियों की ओर से गैर कानूनी तौर पर निर्मित 40 स्ट्रक्चर को पूरी तरह तोड़ दिया गया. इनमें कई कच्चे मकान भी थे. 10 स्ट्रक्चर और रह गये हैं, जिसे चिरेका प्रशासन नष्ट करेंगी. सोमवार को काफी संख्या में आरपीएफ एवं संपदा विभाग के अधिकारी पहुंचकर स्ट्रक्चर को हटाने का कार्य कराया. फतेहपुर इलाके में जिन स्ट्रक्चर को हटाया गया, उनका निरीक्षण गत वर्ष दिसम्बर माह में किया गया था. अतिक्रमण कर रह रहे लोगों को मौखिक तौर पर अपना सामान हटा लेने तथा स्थल खाली करने के निर्देश दिए गए थे. बावजूद इसके अतिक्रमण करने वाले लोगों ने स्थल खाली नहीं करने पर इनके खिलाफ चिरेका प्रशासन ने संपत्ति नियमावली के तहत केस दर्ज कर चिरेका संपदा अधिकारी को स्थल खाली कराने का निर्देश दिया था. इसके बाद प्रशासन ने इसपर कार्रवाई की है.

News Paper PG-no :-6

हिन्दुस्तान
भरोसा नए हिन्दुस्तान का
www.livehindustan.com
मंगलवार
30 जुलाई 2024, धनबाद

जयशंकर ने कहा, भारत-चीन सीमा विवाद में तीसरे पक्ष जरूरत नहीं

अवैध रूप से बने 40 मकान पर चला बुलडोजर

अभियान

घर को ध्वस्त करता जेसीबी।

मिहिजाम, प्रतिनिधि। सोमवार को चिरेका रेलनगरी अंतर्गत फतेहपुर इलाके के आस पास तथा बर्नपुर रिवर साइड स्कूल के पीछे अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रह रहे 40 अवैध घरों को चिरेका प्रशासन ने जेसीबी से ध्वस्त कर दिया गया।

चिरेका प्रशासन के अनुसार बाकी 10 अवैध घरों को भी जल्द ध्वस्त किया जायेगा। फतेहपुर इलाके के जिस अनाधिकृत घरों को ध्वस्त किया गया। उसका निरीक्षण विगत 26 दिसंबर 2023 को किया गया था तथा निरीक्षण के बाद मौखिक तौर पर उन अनाधिकृत घरों में रहने वालों को खाली करने के लिए कहा गया था। पर्याप्त समय देने के बाद आठ जनवरी 2024 को पब्लिक प्रमिसेस के तहत मामला दर्ज किया गया तथा 24 जून 2024 को इसी एक्ट के तहत नोटिस जारी किया गया। जिस में अतिक्रमणकारियों को 15 जुलाई 2024 तक अनाधिकृत अतिक्रमण को हटाने का पर्याप्त समय दिया गया था। चिरेका प्रशासन के अनुसार 23 जुलाई 2024 को स्टेट आफिसर द्वारा ध्वस्त करने का आदेश जारी किया गया। 25 जुलाई 2024 को चिरेका प्रशासन द्वारा एक बार फिर से नोटिस जारी किया गया। परन्तु इस पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर प्रशासन द्वारा 29 जुलाई 2024 को अनधिकृत 40 घरों को ध्वस्त किया गया।

संताल परगना से प्रकाशित प्रथम हिन्दी दैनिक

इंडियन पंच

चिरेका की ओर से अनधिकृत निर्माण का किया गया डेमोलिशन

चित्तरंजन। संवाददाता।

चित्तरंजन रेल कारखाना के फतेहपुर इलाके के रोड नंबर 44,44अ, 45,46,48,50,51,55 के आस पास तथा बुर्नपुर रिवर साइड विद्यालय के पीछे अतिक्रमणकारियों द्वारा गैर कानूनी तौर पर निर्मित अनधिकृत 40 निर्मित घर को सोमवार को पूरी तरह से डेमोलिश किया गया।

उक्त डेमोलिशन कार्यक्रम 29.07.2024 को लगभग 10.00 बजे प्रारंभ होकर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। फतेहपुर इलाके के जिन अनधिकृत निर्माण को डेमोलिश किया गया उनका निरीक्षण 26.12.2023 को किया गया था तथा निरीक्षण के पश्चात मौखिक तौर पर उसी दिन उन अनधिकृत घर में रहने वालों को खाली करने के लिए कहा गया था। पर्याप्त समय देने के बाद 08.01.2024 को मामला दर्ज किया गया तथा 24.06.2024 को इसी एक्ट के तहत नोटिस जारी किया गया, जिस में अतिक्रमणकारियों को 15.07.2024 तक अनधिकृत अतिक्रमण को हटाने का पर्याप्त समय दिया गया था। 23.07.2024 को स्टेट अधिकारियों की ओर से डेमोलिशन का आदेश जारी किया गया और 24.07.2024 को डेमोलिशन कार्यक्रम की तिथि, 29.07.2024 निर्धारित की गयी तथा 25.07.2024 को फिर से नोटिस जारी किया गया। परन्तु इस पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर प्रशासन द्वारा 29.07.2024 को अनधिकृत 40 निर्माण को डेमोलिश किया गया।

दैनिक भास्कर

जामताड़ा पुलआउट 30-07-2024

चिरेका के फतेहपुर इलाके में अनधिकृत घरों को हटाया गया

भास्करन्यूज़|चित्तरंजन

चित्तरंजन रेल कारखाना के फतेहपुर इलाके में अनधिकृत 40 स्ट्रक्चरों को पूरी तरह से डेमोलिश किया गया। क्षेत्र के स्ट्रीट संख्या 44, 44ए, 45, 46, 48, 50, 51, 55 के आस पास तथा बर्नपुर रिवर साइड विद्यालय के पीछे अतिक्रमणकारियों द्वारा गैर क़ानूनी तौर पर निर्मित अनधिकृत 40 स्ट्रक्चरों को पूरी तरह से डेमोलिश किया गया। उक्त डेमोलिशन कार्यक्रम लगभग 10.00 बजे प्रारंभ होकर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया।

फतेहपुर इलाके के जिन स्ट्रक्चरों को डेमोलिश किया गया उनका निरीक्षण 26 दिसंबर 2023 को किया गया था तथा निरीक्षण के पश्चात मौखिक तौर पर उसी दिन उन अनधिकृत स्ट्रक्चरों में रहने वालों को खाली करने के लिए कहा गया था। पर्याप्त समय देने के बाद 08 जनवरी 2024 को पब्लिक प्रीमिसेज एक्ट 1971 के तहत मामला दर्ज किया गया तथा 24 जून 2024 को इसी एक्ट के तहत नोटिस जारी किया गया। जिस में अतिक्रमणकारियों को 15 जुलाई 2024 तक अनधिकृत अतिक्रमण को हटाने का पर्याप्त समय दिया गया था।

23 जुलाई 2024 को एस्टेट पदाधिकारी द्वारा डेमोलिशन का आदेश जारी किया गया और 24 जुलाई 2024 को डेमोलिशन कार्यक्रम की तिथि 29 जुलाई 2024 निर्धारित की गयी तथा 25 जुलाई 2024 को फिर से नोटिस जारी किया गया। लेकिन इस पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर प्रशासन द्वारा 29 जुलाई 2024 को अनधिकृत 40 स्ट्रक्चरों डिमोलिश किया गया।